6

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

प्र.क्रमांक III/निग/17/रीवा/4137

रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

इन्द्रलाल नट तनय हीरालाल नट, निवासी ग्राम सूजी, सर्किल सीतापुर, तह0 मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

------ **आवेदक / निगराकार**

बनाम

म0प्र0 शासन जरिये हल्का पटवारी सूजी तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

------ **गैरनिगराकार**

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तह0 मऊगंज के प्रकरण कमांक 18/अ–66/16–17 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 एवं निगरानी अग्राहयता आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर रीवा द्वारा पारित दिनांक 18.07.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्वसंहिता 1959ई0

श्री रजनीश कुमार ... 27-10-17

27-10-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने येाग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गॉव सूजी–1002 की भूमि खसरा कमांक 607/01 के अंश रकवा 0.10ए0 का म0प्र0 बासदखलकार अधिनियम 1980 के तहत् भूमि स्वामी पट्टा प्राप्त करने का निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को जॉच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यो से परे जाकर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इन्द्र लाल नट

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/2017/रीवा/4137

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार रवि उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 18/अ-66/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक इन्द्रलाल पिता हीरालाल द्वारा ग्राम सूजी की भूमि खसरा क्रमांक 607/1 के अंश रकबा 0.10 एकड का म0 प्र0 वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के तहत भूमि स्वामी हक अधीनस्थ न्यायालय में पट्टा प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है तथा उसकेपास स्वामित्व की भूमि नहीं है उसे उक्त भूमि का पट्टा म0 प्र0 वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के तहत प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इस्तहार का प्रकाशन किया तथा सम्मन तलवी न होने पर दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु भेजा गया।	

आवेदक इन्द्रलाल द्वारा आवेदन किया कि भूमि स्वामी सुभद्री लावल्द पोत है इस हेतु नायाब तहसीलदार वृत सीतापुर तहसील मऊगंज से प्रतिवेदन लिया गया तथा तर्क सुने। तर्कोंपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई खातेदार लावल्द पोत हो जाता है तो संबंधित राजस्व अधिकारी को संहिता की धारा 176,177 के तहत निर्मित प्रावधानों की कार्यवाही की जाना चाहिए अनुविभागीय अधिकारी ने वास स्थान दखलकार अधिनियम अंतर्गत पट्टा दिया जाना उचित नहीं माना वस्तुत: आवेदक का आवेदन पत्र समाप्त करने में कोई त्रुटिनहीं कि प्रकरण नायब तहसीलदार वृत सीता पुर को आदेश की प्रति भेज कर म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 176,177 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। निगरानी में सुनने की अधिकारिता नहीं हेाने के कारण प्रकरण अग्राह्य किया।

3- अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/02/17 में कोई विधिक त्रुटि न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 18/अ-66/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017

उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य